न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

चेनसिंह पिता नारू जी चंदाणा,निवासी जगावतों की भागल, मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कालूसिंह पिता नारू जी चंदाणा,निवासी जगावतों की भागल, मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रूपसिंह पिता नारू जी चंदाणा,निवासी जगावतों की भागल, मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकरसिंह पिता नारू जी चंदाणा,निवासी जगावतों की भागल, मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भूमिधारी जरियेतहसीलदार,गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्डअधिकारी,गोगुन्दादिनांक
19–05–2022प्रकरण संख्या 52 / 2021

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री बी.एल. तेली अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

3– श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक रे.सं. 2, 3

4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक14–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा मोड़ी, तहसील गोगुन्दा में खाता संख्या 48 की कुल आराजियात 15 कुल रकबा 1.6250 हैक्टर एवं ग्राम सेवागडी में खाता संख्या 13 की कुल आराजियात 28 कुल रकबा 2.[illegible] हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादी का 1 / 4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1 / 4, 1 / 4 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर उक्त आराजियात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु सीमा को लेकर पक्षकारों में विवाद होता रहता है इसलिए भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2की ओर से एकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर बंटवारे पर अपनी सहमति जाहिर की गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 12–03–2022 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् दिनांक 19–05–2022 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–07–2022 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बी.एल. तेली उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये, बंटवारा फहरिश्त पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। पटवारी हल्का ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के कहे अनुसार बंटवारा रिपोर्ट तैयार की है। जिस जमीन पर अपीलान्ट का कब्जा था, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने बंटवारा फररिश्त में अपने पास रख ली है। बंटवारा नियम 18 से 21 के अनुसार नहीं किया गया है। कथित बंटवारा कानून के विपरीत हुआ है, जिसे किसी भी स्थिति में बहाल नहीं रखा जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19–05–2022 निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट की मौजूदगी में पुनः बंटवारा फहरिश्त स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार की जाकर पक्षकारों की सहमति से अंतिम डिक्री जारी की जावे।अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ(24) 2017 Page 299,RBJ (26) 2019 Page 751,RBJ (28) 2021 Page 76,RBJ (26) 2019 Page 320,RB[illegible] 2019 Page 312,RBJ (28) 2021 Page385 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राप्त विभाजन प्रस्तात के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न पर्चा मौका दिनांक 11–05–2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त पर्चा मौका हालांकि अपीलान्ट चेनसिंह उपस्थित नहीं था, किन्तु उसकी पत्नी व पुत्री उपस्थित थी। बंटवारा फहरिस्त अनुसार सभी पक्षकारों को लगभग समान रकबा दिया गया है। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे उसके कब्जे की भूमि उन्हें नहीं दी गयी है, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बंटवारे में सभी पक्षकारों को बराबर–बराबर भूमि दी गयी है। अपीलान्ट के कथनानुसार विभाजन किये जाने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत विभाजन किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2022 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

चैनसिंह पिता नारू जी चंदाणा, निवासी जगावतों की भागल, मोडी तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर बनाम कालूसिंह पिता नारू जी चंदाणा, नि0 जगावतों की भागल, मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......57/2022........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........गोगुन्दा..........मुकाम.................मुवर्खे.........19............माह...............05...............2022.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........14..........माह.............08.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान
व हाजरी........श्री संजय बोहरा........मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री बी.एल. तेली/नरेन्द्र चौधरी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये ....X..........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..........................X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............14.............माह............08..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested